56

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

470/2016/225 रामप्रसाद वगै० V/S रामकिशोर व अन्य

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री विरेन्द्रसिंह जंगारेल, एड० अपी० श्री B.L. शर्मा - 7	
27/6/2019	पत्रावली पेश। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित।प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत शपथ पत्र व अभिभाषक अपीलांट की बहस के कथनों पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात अपील पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 इस आशय का पेश किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने आराजी खसरा नम्बर 293 रकबा 1.81 हैक्टर वाकै ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद में अपने आपको 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया। जिसमें स्वंय को छीतर पुत्र कामड का वारिस बताते हुए हुए वाद प्रस्तुत किया है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि छीतर पुत्र कामड़ के एकमात्र पुत्र लादू था तथा लादू के वारिसान अपीलार्थीगण है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 05 बालू पुत्र मांगू के वारिसान है। बालू पुत्र मांगू, छीतर पुत्र कामड़ का पुत्र नही था बल्कि बालू अन्य व्यक्ति मांगू का पुत्र था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 की जाति बैरवा है एवं गोत्र गुमलाडू है एवं अपीलार्थीगण की जाति बैरवा है एवं गौत्र बैथोड़ा है। दोनो का अलग-अलग खानदान है। इस आधार पर छीतर पुत्र कामड़ की आराजी से रेस्पोडेन्टस को कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। इस सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब भी अपीलार्थीगण द्वारा पेश कर दिया गया था एवं पत्रावली में बहस होनी थी परन्तु दिनांक 15.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना बहस सुने मनमाने तरीके से प्रश्नगत नॉन स्पीकिंग आदेश पारित कर दिया, जो विधि सम्मत नही है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय को अपना आदेश पारित करते समय तथ्य एवं विधि के प्रश्नो पर पूर्ण रूप से विचार कर दोनो पक्षों को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई कारण स्पष्ट नहीं किए है तथा साईक्लोस्टाईल पेपर में कम्प्यूटर से पूर्व से ही टाईपशुदा पन्ने पर आदेश पारित किये है जो किसी भी प्रकार से आदेश की श्रेणी में नहीं आने से कानूनन निरस्त योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू का आदेश दिनांक 15.06.2016 निरस्त किया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 293 रकबा 1.81 है. के साबिक खसरा नम्बर 192 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा रहे है जिसका प्रथम पर्चा सैटलमेंन्ट सम्वत 2011 से 2029 के खाता संख्या 480 के द्वारा वादी एवं अप्रार्थीगण के दादा छीतर पुत्र कामड़ के नाम जारी किया गया था। पक्षकारान का सिजरा खानदान अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 293 वाकै ग्राम बोराज का पर्चा छीतर पुत्र कामड़ के आया जो अपने जीवनकाल तक काबिज काश्त रहा। छीतर का स्वर्गवास दिनांक 04.05.1962 को हो जाने से छीतर की विरासत अकेले लादू जो कि कर्ताखानदान व परिवार में सबसे बड़ा सदस्य होने के कारण अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार मृतक खातेदार के समस्त वारिसान के बराबर हिस्सा अनुसार नाम दर्ज कि जाने चाहिए थी चूँकि मृतक छीतर फौत हुआ था और मौके पर हिस्सा 1/2 पर लादू एवं हिस्सा 1/2 पर बालू संयुक्त रूप से काश्त करते थे। वर्तमान में जमीनों की किमते बढ जाने के कारण लादू के वारिसान अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की नियत	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

P.T.O

55 # अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

470/2016/225

रामप्रसाद् वगैरा // रामकिशोर वगैरा

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत, एडवोकेट श्री श्री B.L. शर्मा - 1	

निरंतर....

में फितुर उत्पन्न हो गया है एवं दिनांक 02.03.2013 को प्रार्थीगण के भूमि नाम लगाने से साफ इन्कार हो गये है एवं अजनबी व्यक्तियों को लाकर उक्त भूमि का बिना हुई एवं वाद पत्र के कथन अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि आरजीयात खाता संख्या 539 की आराजी खसरा नम्बर 277 रकबा 0.65 है. एवं खाता संख्या 540 की आराजी खसरा नम्बर 293 रकबा 0.65 है. वाकै ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथस्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,दूदू ने अपने दिनांक 15.06.2016 द्वारा विवादित विवादित आराजी खसरा नम्बर 277, 293 की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं एक–दूसरे के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करने के आदेश पारित किये जिसमें अपीलांटस को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं हो रही है। विवादित आराजी के हक–हकूक तो बाद साक्ष्य व सुनवाई के वाद में तैय किये जायेगें। इसलिए अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15.06.2016 द्वारा विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी जाने एवं एक–दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने के आदेश पारित किये है। उक्त आदेश से अपीलांटस को किसी प्रकार क्षति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। धारा 212 " अधिनियम' के तहत् किसी भी विवादित भूमि के Waste, damage or alination करने के खतरे अथवा भय के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा देने का न्यायालय को अधिकार है। उनका यह भी तर्क है कि इस प्रकरण में टाईटल के सम्बन्ध में प्रार्थी/प्रतिवादी एवं अप्रार्थी/वादी के मध्य गम्भीर सद्भावी विवाद को मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने एवं एक–दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने के आदेश पारित किये है, उन्हे किसी भी दृष्टिकोण से मनमाना आदेश नहीं कहा जा सकता इसलिए इस अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांटस खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू का आदेश दिनांक 15.06.2019 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर